भारत सरकार

शिक्षा मंत्रालय

स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-2088

उत्तर देने की तारीख-05/08/2024

अ.जा./अ.ज.जा. के आर्थिक और सामाजिक रूप से वंचित समूह के विद्यालय नहीं जाने वाले बच्चे

†2088. श्री नवसकनी के.:

श्री जी. सेल्वम:

श्री सी.एन. अन्नादुरई:

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के पास अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वर्ग के सामाजिक और आर्थिक रूप से वंचित समूह के 6-15 वर्ष की आयु वर्ग के विद्यालय नहीं जाने वाले बच्चों के बारे में कोई आंकड़े हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने ऐसे बच्चों को मुक्त/दूरस्थ शिक्षा प्रणाली के माध्यम से अपनी शिक्षा जारी रखने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने की योजना बनाई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या सरकार की अनाथ बच्चों द्वारा शिक्षा जारी रखना सुनिश्चित करने की कोई योजना है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या कदम उठाए जा रहे है?

उत्तर

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री जयन्त चौधरी)

(क): वर्ष 2023-24 आयु वर्ग के लिए स्कूल न जाने वाले बच्चों का ब्यौरा इस प्रकार है:

मानदंड		स्कूल न जाने वाले बच्चों की संख्या
आयु वर्ग	6 वर्ष से कम	1932
	6-7	133864
	8-10	334286
	11-14	301479
	14 वर्ष से अधिक	9069
सामाजिक श्रेणी*	अनुसूचित जाति	154830
	अनुसूचित	96107

स्रोत : प्रबंध

*सभी आयु समूहों के लिए

(ख): माध्यमिक स्तर पर, प्रति वर्ष प्रति बच्चा 2,000 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है ताकि सामाजिक और आर्थिक रूप से वंचित समूहों से संबंधित स्कूल न जाने वाले बच्चे की शिक्षा को क्रमशः मुक्त/दूरस्थ शिक्षा मोड (एनआईओएस, एसआईओएस) के माध्यम से उपलब्ध किया जा सके।

(ग): दिनांक 1 अप्रैल, 2010 से लागू नि:शुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों पर लागू है और उपयुक्त सरकार को 6 से 14 वर्ष की आयु के प्रत्येक बच्चे को निकटवर्ती स्कूल में नि:शुल्क और अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करने का अधिदेश देता है। आरटीई अधिनियम, 2009 की धारा 12 (1) (ग) में, धारा 2 के खंड (ढ) के उप-खंड (iii) और (iv) में विनिर्दिष्ट स्कूलों में कमजोर वर्गों और वंचित समूहों से संबंधित बच्चों को कक्षा I (या उससे नीचे) में उस कक्षा की कुल संख्या के कम से कम 25 प्रतिशत की सीमा तक प्रवेश देने का प्रावधान है। अधिनियम की धारा 2 (घ) में "वंचित समूह से संबंधित बच्चे" को विकलांग बच्चे या अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग या ऐसे अन्य समूह से संबंधित बच्चे के रूप में परिभाषित करता है, जो सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, भौगोलिक, भाषाई, लिंग या ऐसे अन्य कारक के कारण लाभ से वंचित हैं, जैसा कि उपयुक्त सरकार द्वारा अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट किया जा सकता है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 2 (क) के अनुसार राज्य सरकार और संघ राज्य क्षेत्र सरकार विधानमंडल वाले राज्य और संघ राज्य क्षेत्र के प्रदेश के भीतर स्थापित विद्यालय के संबंध में उपयुक्त सरकारें हैं।
